फर्द अहकाम

विशाल बनाम मोहन वगै०

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

केस संख्या 90/2017

क्र॰ संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी साहब पेश नेटी इस. सौली बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस दि० 25/9/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	
	25/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील पक्षकारान ने बहस करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 9/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	
	9/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान व पैरा० उप०। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र बवजे राजीनामा डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या 90 / 2017

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 18 / 08 / 2017

निर्णय दिनांक : 09 / 10 / 2019

1. विशाल उम्र 9 वर्ष
2. राजवीर उम्र 6 वर्ष
3. कोमल उम्र 12 वर्ष
4. मनीषा उम्र 10 वर्ष

पुत्रान भैरू, जातियान माली, निवासीगण मौजमाबाद ना.बा. जरिये प्राकृतिक वली माता संतोषदेवी पत्नी भैरू, जाति माली, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

–– वादी

बनाम

1. भैरू पुत्र छीतर, जाति माली, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
2. तहसीलदार महोदय तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

–– प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी**
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 09/10/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादीगण की मौरूसी मुश्तर्का आराजी खतोनी संख्या 856 के आराजी खसरा नम्बर 3169, 3170, 3174, 3177, 3196, 3748, 3749, 3750 कुल किता 08 कुल रकबा 3.02900 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

स्थित है, जिसके वादीगण अपने पिता भैरू के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में 4/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, जिनका सिजरा अंकित करते हुये बताया कि वादीगण के पिता भैरू को विवादित आराजी अपने पिता से जरिये विरासत से 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ था, वादीगण नाबालिग होने से माता काबिज काश्त होकर काश्त करती आ रही है, लेकिन प्रतिवादी अपने परिवार के प्रति सदैव लापरवाही रहा और नाबालिग बच्चों की परवरिश अकेली तन्हा माता संतोष कर रही हैं। स्व0 छीतर के फौत हो जाने के पश्चात प्राप्त 1/3 हिस्सा की भूमि के अलावा अन्य आराजीयात भी थी, जिसको प्रतिवादी ने विक्रय कर दिया क्योंकि प्रतिवादी नशे का आदि है और बच्चों की परवरिश का कतई ख्याल नही रखता है, अपनी अयासी के कारण विवादित आराजी को भी विक्रय करना चाहता है और धमकीयां देता है कि रोड पर भीख मंगवाऊंगा, समस्त सम्पति से अपने बच्चों को महरूम कर अपने परिवारजन को देने पर तुला हुआ हैं। वादीया ने अपने बच्चों के अधिकारों के लिये प्रस्तुत वाद पेश किया है, क्योंकि विवादित आराजी प्रतिवादी की स्वार्जित आराजी नही होकर मुश्तर्का पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें प्रत्येक का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 अर्थात 4/5 हिस्सा वादीया के बच्चों का एवं 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त आराजी में वादीया के बच्चों का बाई अर्थात अर्थात जन्म से ही नेशनल शेयर है, जिसकी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी दिनांक 10/08/2017 को एक अनजान व्यक्ति के साथ आराजी पर पहूँचा और अपने हिस्से की आराजी को बताने लगा और कहने लगा कि अपने दर्ज हिस्सा 1/3 की आराजी को विक्रय कर रहा हूँ। वादीगण ने विरोध किया तो शीघ्र ही विक्रय कर ने की धमकी दी, इसलिये यह वाद–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीगण का वाद जरिये वली माता डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि आराजी खतौनी संख्या 856 के आराजी खसरा नम्बर 3169, 3170, 3174, 3177, 3196, 3748, 3749, 3750 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0290 हैक्टेयर भूमि वाके मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 01 के दर्ज हिस्से में से वादीगण का 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे में से 4/15 व 1/15 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त हैं। इस आशय की तहरीर तहसीलदार मौजमाबाद को भिजवाई जावें तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

कि वादीगण के हिस्से से बेदखल नही करें एव न ही आराजी को खुर्द बुर्द करें एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनाक 26/08/2019 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस में सुनी गयी।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात असल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 856 तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 856 के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 भैरू पुत्र छीतर के नाम से हिस्सा 1/3 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, मुताबिक सिजरा छीतर वादीगण के दादा हैं एवं भैरू पुत्र छीतर वादीगण के पिता है, जिनके दो पुत्र एवं दो पुत्रीयां जो वादीगण है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में दर्ज सिजरा अनुसार पक्षकारान भैरू पुत्र छीतर के पुत्र–पुत्री होकर एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना साबित होते हैं, जमाबन्दी के अवलोकन से विवादित आराजी पूर्व में वादीगण के दादा छीतर की आराजीयात होना साबित होती हे, जो जरिये विरासत प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुयी है, चूंकि विवादित आराजीयात एक ही संयुक्त परिवार में रहते हुये पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होना साबित होता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं दावा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर पूर्ण सहमति दी हैं, चूंकि विवादित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजीयात है, इस प्रकार कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजीयात में वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा बनता हैं तथा इसी हिस्से को प्राप्त करने हेतु वादीगण ने उक्त वाद–पत्र जरिये माता पेश किया हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादीगण अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) चूरू

Scanned by CamScanner

वादीगण का वाद न्यायहित में बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 856 के आराजी खसरा नम्बर 3169, 3170, 3174, 3177, 3196, 3748, 3749, 3750 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0290 हैक्टेयर भूमि वाके मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में वादीगण को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का अर्थात सम्पूर्ण रकबे में वादीगण को 4/15 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू (जयपुर)

श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.

श्री गोगल, मनीषा पुत्रान भैरुनाथ ... पुत्र भीमा जाति माली नि० मौजमाबाद वगैरह, माली, नि० मौजमाबाद बनाम घोषणा धा० 88 ... म० तहसीलदार त० मौजमाबाद ... माली, त० मौजमाबाद

मुकदमा नं. 10 सन 2017

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामजीलाल शर्मा

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री कन्हैयालाल माली, प्रति० सं० 2 पैरो० ...

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 856 के आराजी ख०नं० 3169, 3170, 3174, 3177, 3196, 3748, 3749, 3750 कुल किता 08 कुल रकबा 3.0290 हैक्टेयर भूमि वाके मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में वादीगण को संयुक्त रूप से 4/15 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्से अर्थात् सम्पूर्ण रकबे में वादीगण को 4/15 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुहर: सहायक कलक्टर ... दूदू (...)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner